राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्र. 871 मि.सं./रास्वभामिग्रा/पंग्राविवि/2019:: रायपुर, दिनांक 17/10/19

प्रति,

1.कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधन समिति,
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
समस्त जिला, छत्तीसगढ़

2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव, प्रबंधन समिति,
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
समस्त जिला, छत्तीसगढ़

विषयः— **31 दिसंबर, 2019 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों में सामुदायिक शौचालयों के संबंध में।**

संदर्भः— **1.पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल—शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक S-18020/91/2016-SBM दिनांक 10 अक्टूबर, 2019।**

2.इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 547 मि.स. /रा.स्व.भा.मि.ग्रा./पं.ग्रा.वि.वि/2019 रायपुर दिनांक 21 अगस्त, 2019।

3.पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल—शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक S-18020/91/2016-SBM दिनांक 19 अगस्त, 2019।

विषयांतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक S-18020/91/2016-SBM दिनांक 31 जुलाई, 2019 एवं पत्र क्रमांक S-18020/91/2016-SBM दिनांक 19 अगस्त, 2019 से प्राप्त निर्देश के पालन में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 547 मि.स./रा.स्व.भा.मि.ग्रा/पं.ग्रा.वि.वि./2019 दिनांक 21 अगस्त, 2019 के माध्यम से आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसाहटों में किए जानें के संबंध में निर्देशित किया गया था।

2/ उक्त क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय के पत्र क्रमांक S-18020/91/2016-SBM दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसाहटों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण **30 नवंबर, 2019 तक** प्राथमिकता के क्रम में किया जाना है।

3/ उपरोक्तानुसार निर्मित होने वाले सामुदायिक शौचालयों में लीचपिट तकनीक का प्रयोग किया जाना है। इन सामुदायिक शौचालयों में महिलाओं हेतु 02 तथा पुरूषों हेतु 02 शौचालय सीटों की उपलब्धता तथा परिसर में स्नान हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इन शौचालयों में से एक शौचालय दिव्यांग जनों की सुविधा के अनुसार निर्मित किया जाना सुनिश्चित किया जाना है।

Scanned by CamScanner

4/ शौचालय निर्माण हेतु स्थान का चयन समुदाय की आपसी सहमति से किया जाना है। जिला यह कार्य किसी भी उपयुक्त विभाग के माध्यम से कर सकता है, निर्मित होने वाले समस्त शौचालयों की जियोटैगिंग की जानी है। इन सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी जानी है। शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव की निगरानी रखने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों के लोगों की एक समिति बनाई जानी है। रखरखाव की सुलभता के उद्देश्य से ग्राम पंचायत की निगरानी में सामुदायिक शौचालय के आसपास के ही किसी समुदाय/व्यक्ति को रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

5/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण हेतु आवश्यकता के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मार्गदर्शिका के अनुसार सामुदायिक शौचालयों हेतु प्रावधानित राशि की सीमा में वर्ल्ड बैंक परफॉर्मेंस ग्रांट का उपयोग किया जा सकता है, उक्त राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जावेगी।

उपरोक्तानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(अनुराग पाण्डेय)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

पृ.क्र. 872 मि.सं./रास्वभामिग्रा/पंग्राविवि/2019, रायपुर, दिनांक 17/10/19

प्रतिलिपिः–

स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

Scanned by CamScanner